ग्राम पंचायत मलथेहड़, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-1266 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मलथेहड़, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री श्याम लाल	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्रीमती निर्मला देवी	23.1.2016 से लगातार

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रमेश कुमार	1.4.2014 से 07.11.2016
2	श्रीमती लता ठाकुर	08.11.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत मलथेहड़ के लेखाओं अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में भारी अन्तर	5	0.65
2	अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	7	1.03
3	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	10	0.68
4	अनुदान राशि का उपयोग न करना	11	19.15
5	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय करना	12	0.58

G.P. Malther

6	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये बिना व्यय करना	13	2.75
7	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	14	1.15
8	व्यय/भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना	15	0.89

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत मलथेहड़, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.4.2017, 29.4.2017 से 4.5.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः—

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014—15	03/2015	11/2014
2015—16	03/2016	11/2015
2016—17	11/2016	08/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत मलथेहड़, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 074/2017 दिनांक 4.5.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मलथेहड़ से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत मलथेहड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

1 स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानः–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹) स्वः स्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	व्यय (₹) स्वः स्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तशेष (₹)
2014–15	1236514.05	75859.75	713827	2026200.80	42490	397335	1586375.80
2015–16	1586375.80	127090	1154370	2867538.80	115189	1077287	1675359.80
2016–17	1675359.80	115922	1200517	2991798.80	95896	950127	1945775.80

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही अनुसार ₹1945775.80

पास बुकों अनुसार ₹1880653.28

अन्तर 65122.52

2 मनरेगाः–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	4720	300759	305479	305479	0
2015–16	0	42306	42306	42306	0
2016–17	0	132870	132870	132870	0

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही अनुसार 0

पास बुकों अनुसार 0

3 वाटर शैड (IWMP)

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	86319	31648	117967	112539	5428
2015–16	5428	234	5662	5408	254
2016–17	254	30501	30755	29421	1334

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही अनुसार ₹1334

पास बुक अनुसार ₹1334

नोटः– ग्राम पंचायत को उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट 1 से 3"** में दिया गया है।

5 स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹0.65 लाख का भारी अन्तरः–

ग्राम पंचायत मलथेहड़ की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही व उससे सम्बन्धित खातों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते नियम, 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान करना अनिवार्य था। पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.3.2017 को ₹65122.52 का अन्तर **"परिशिष्ट–1"** में पाया गया है।

अतः पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुये उक्त वर्णित अन्तर का शीघ्र मिलान किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी रोकड़ बहियों व सम्बन्धित बैंक खातों का मिलान नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है एवं न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोकड़ बही में ही दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्वान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष को आगामी कार्यदिवस/पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु दिनांक 01.04.2014 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2014–15 के अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत की अंकेक्षण अवधि की रोकड़बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹1.03 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों के रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में निम्नविवरणानुसार ₹102550 की अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया थाः—

क्र0सं0	खाता संख्या	बैंक का विवरण	दिनांक	राशि (₹)
1	31910107963	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, नेरचौंक शाखा	23.3.15	80000
2	31910107058	—यथोपरि—	30.3.15	5000
3	31910107058	—यथोपरि—	31.3.15	12150
4	31910107058	—यथोपरि—	23.12.16	5400
			योग	**102550**

प्राप्त अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करने के कारण पंचायत का वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये इन अनुदान राशियों को अविलम्ब पंचायत को रोकड़ बही में दर्ज किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः—

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट—4"** में दिये गये विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया

व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व ₹0.68 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व की ₹68380 लाख वसूली हेतु शेष थीः–

1 गृहकरः–

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2014–15	21030	21600	42630	7290	35340
2015–16	35340	21600	56940	13560	43380
2016–17	43380	8830	52210	510	51700

2 किराया दुकानः–

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2014–15	11100	9000	20100	1050	19050
2015–16	19050	9000	28050	14370	13680
2016–17	13680	9000	22680	6000	16680

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान ₹19.15 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–5"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹1915317.50 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजना से ग्रामीणों में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि

G.P. Malther

को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 प्राप्त अनुदान से ₹0.58 लाख का अधिक व्यय करनाः—

ग्राम पंचायत मलथेहड़ द्वारा अनुदान राशियों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **(परिशिष्ट—5)** पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक ₹57680 का व्यय विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदान से अधिक कर दिया गया था। अनुदान राशियों की स्वीकृति पत्र में दी गई शर्त अनुसार व्यय को प्राप्तअनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना अपेक्षित था एवं पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान से अधिक किया गया व्यय अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित संस्था से उठाया जाए एवं इसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में अनुदानों से किये जाने वाले व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किये बिना ही ₹2.75 लाख का अनियमित व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट—6"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹274836 का व्यय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किये गये व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹1.15 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹114662 के स्टॉक/स्टोर का क्रय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते

G.P. Malther

हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 ₹0.89 लाख के व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध न करवानाः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में किये गये व्यय/भुगतानों से सम्बन्धित ₹88723 के बिल/वाउचर जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये, जिनका सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र0 सं0	वर्ष	रोकड़ बही का विवरण	वा0 क्रमांक	दिनाक	राशि (₹)	चैक सं0	दिनांक	कार्य का नाम/विवरण (रोकड़ बही अनुसार)
1	2015—16	स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान	87	9.12.15	18000	395698	7.12.15	निर्माण शमशान घाट काण्ढी मोड हेतु अदायगी
2	2015—16	—यथोपरि—	77	30.11.15	3300	395689	30.11.15	₹14300 का व्यय दर्शाया गया किन्तु ₹3300 के व्यय से सम्बन्धित भुगतान का विवरण नहीं
3	2015—16	—यथोपरि—	78	30.11.15	3345	395690	30.11.15	निर्माण शमशान घाट काण्ढी मोड हेतु सीमेन्ट का क्रय
4	2015—16	—यथोपरि—	79	30.11.15	10900	395691	30.11.15	निर्माण पुली नजदीक स्कूल हेतु रेत बजरी हेतु अदायगी
5	2015—16	—यथोपरि—	80	30.11.15	4800	395693	30.11.15	शटरिंग हेतु अदायगी
6	2014—15	वाटर शैड	1	24.6.14	32700	242979	24.6.14	औंकार चन्द को सामग्री हेतु भुगतान
7	2014—15	वाटर शैड	3	24.6.14	626	242979	24.6.14	हुकम चन्द को साइन बोर्ड का भुगतान
8	2014—15	वाटर शैड	4	24.6.14	450	242979	24.6.14	हरीश चन्द को ढुलान हेतु भुगतान
9	2014—15	वाटर शैड	7	17.12.14	3502	242982	17.12.14	हि0प्र0 राज्य सिविल सप्लाई को सीमेन्ट हेतु भुगतान
10	2014—15	वाटर शैड	8	24.2.15	11100	242984	24.2.15	लाईवलीहुड भुगतान आदर्श एस0एच0ओ0 को।
				योग	**88723**			

G.P. Malther

पंचायत द्वारा ₹88723 के भुगतान से सम्बन्धित व्यय/वाउचरों/बिलों का जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना अथवा इनका पंचायत अभिलेख में उपलब्ध न होना स्वयं एक जाँच का विषय है।

अतः इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर जाँच करने उपरान्त यदि यह व्यय वाउचर उपलब्ध पाये जाते हैं तो इन्हें आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा इस समस्त राशि की सम्बन्धित से वसूली की जाए तथा पंचायत निधि में जमा करवाई जाए एवं कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

G.P. Malther

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविधः–

(क) पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 70 दिनांक 23.11.2015 द्वारा ₹21080 का भुगतान मस्ट्रोल संख्या 36489 दिनांक 01.8.15 से 30.8.15 के एवज में सामान्य रोकड़ बही से मजदूरी के रूप में किया गया है। उक्त भुगतान में से ₹4080 का भुगतान क्रम संख्या 5 में वर्णित मजदूर नीली देवी पत्नी पूर्ण चन्द को 24 दिनों की मजदूरी ₹170 प्रतिदिन की दर से किया गया है, किन्तु जाँच में पाया गया कि उक्त मजदूर की एक भी कार्य दिवस की उपस्थिति नहीं है एवं उनके नाम के आगे सभी कार्य दिवसों पर न तो "P" लिखा गया है एवं न ही "A" लिखा गया है। अतः उक्त मजदूर को किया गया भुगतान निमयानुसार सही नहीं है, जिसकी वसूली सम्बन्धित भुगतानकर्ता से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा मनरेगा रोकड़ बही में से वर्ष 2015–16 में वाउचर संख्या 4 दिनांक 7.11. 2015 द्वारा मस्ट्रोल संख्या 2682, अवधि 17.10.2015 से 30.10.2015 के एवज में मजदूरी के रूप में किया गया है, किन्तु उक्त मस्ट्रोल द्वारा किये गये कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में उक्त भुगतान को नियमित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उक्त मस्ट्रोल द्वारा किये गये कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि भुगतान की तदानुसार जाँच की जा सके।

(ग) पंचायत द्वारा रसीद संख्या 690239 से 690300 द्वारा प्राप्त गृह कर की राशि को दिनांक 23.3.2016 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 98 में ₹2340 का जमा दर्शाया गया है, किन्तु उक्त रसीदों से प्राप्त राशि की गणना करने पर पाया गया कि यह ₹2400 बनती है। अतः इस प्रकार ₹60 रोकड़ बही में कम दर्शाकर कम जमा की गई है, जिसकी वसूली सम्बन्धित

वसूलीकर्ता से शीघ्र करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायत स्तर पर नियमानुसार अभिलेख के रख रखाव की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 22 / 2017—खण्ड—1—6438—6441 दिनाँक,26.10.17
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत मलथेहड़, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

G.P. Malther